राजीव नारायण रैना से पहले जे.

सतपाल

.....याचिकाकर्ता

बनाम

पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, अम्बाला एवं अन्य

..... उत्तरदाताओं

2009 का सीडब्ल्यूपी नंबर 3900

8 मई 2012

भारतीय संविधान अनुच्छेद, 1950 -अनुच्छेद 226 £22 7- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 -एस.एस. 2(00)(बीबी) 25 एफ - छंटनी - श्रम न्यायालय ने माना कि दैनिक वेतन भोगी को हटाया जा रहा है|फ्रंट सर्विस को छंटनी के समान नहीं माना जाएगा - इसे दैनिक रूप से चुनौती दें वेतन माली अपने काम से चाहे छंटनी के बराबर हो या नहीं - कोई सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं प्रत्येक दैनिक वेतन सेवा अपवाद खंड में आती है - वर्तमान मामला इसके अंतर्गत नहीं आता है| अधिनियम की धारा 2(ओओ) का अपवाद (बीबी) - याचिकाकर्ता को दैनिक की तरह सेवा में बहाल किया गया बकाया वेतन के अधिकार के साथ दांव/टुकड़ा दर अनुबंध कर्मचारी - रिट की अनुमति।

माना गया कि ऐसा कोई सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है कि प्रत्येक दैनिक वेतन सेवा इसके दायरे में आती है|अधिनियम की धारा (बीबी) से धारा 2(ओओ) का अपवाद खंड। कई अन्य कारक होंगे,विचार करना होगा. उदाहरण के लिए, कार्य की प्रकृति, कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व, कार्यप्रणाली एवं भुगतान का तरीका|

ऐसी स्थिति में कि प्रबंधन महीने के अंत में दैनिक वेतन का भुगतान करता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है|बताया गया कि इरादा सूरज डूबने पर दैनिक वेतन सौंपकर ठेका बंद करने का नहीं है|कार्यकर्ता के घर जाने से पहले. इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि वर्तमान मामला अधिनियम की धारा (बीबी) से धारा 2(ओओ) के अंतर्गत नहीं आता है। यदि ऐसा है तो धारा 25-एफ तुरंत अपना सिर उठाएगा और काम करने वाले के पक्ष में बोलेगा|

(पैरा 7)

जसमीत सिंह बेदी, वकील,- याचिकाकर्ता
कीर्ति सिंह, डीएजी हरियाणा,

राजीव नारायण रैना, जे.

1. वर्तमान याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर की गई है, जिसमें 7.4.2008 को राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 12.2.2008 (पी-3) के पुरस्कार को रद्द करने की प्रार्थना की गई है।

2. यह पुरस्कार पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, अम्बाला द्वारा पारित किया गया है। याचिकाकर्ता-कर्मचारी के खिलाफ संदर्भ का उत्तर दिया गया है और कोई राहत स्वीकार्य नहीं पाई गई है। यह माना गया है कि चूंकि कामगार एक दैनिक वेतन भोगी माली था, इसलिए उसे सेवा से हटाना छंटनी नहीं माना जाएगा और इसके बजाय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (ओओ) के अपवाद (बीबी) के तहत कवर किया जाएगा। संक्षिप्त 'अधिनियम')। इसलिए, अधिनियम की धारा 25-एफ से एच तक के प्रावधानों के उल्लंघन से वर्तमान मामले में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं आएगा।

3. याचिकाकर्ता-कर्मचारी द्वारा बताए गए मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता-कर्मचारी जुलाई, 1981 से 28.11.2001 तक वन विभाग में दैनिक

वेतनभोगी माली था, जब उसकी सेवाएं थंबू राम, वनपाल द्वारा अवैध रूप से समाप्त कर दी गईं और अधिनियम की धारा 25-एफ से एच तक के प्रावधानों का उल्लंघन । समाप्ति के आक्षेपित आदेश में दिया गया कारण पूर्व। W-3 था "कोर्ट केस वाले कर्मचारियों को काम से हटाना"। यह निष्कासन उप वन संरक्षक, कुरूक्षेत्र के दिनांक 22.11.2001 के पत्र के संदर्भ में मौखिक आदेशों के अनुपालन में था। तलब किए गए रिकॉर्ड के आधार पर साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए याचिकाकर्ता-कर्मचारी द्वारा थंबू राम, वनपाल को बुलाया गया था। थंबू राम ने अपनी गवाही में स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता ने 1998 से 28.11.2001 तक काम किया था। श्रम न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि कामगार ने 28.11.2001 को जारी और सेवा समाप्ति के आदेश से पहले पिछले 12 कैलेंडर महीनों में आवश्यक 240 दिनों का काम नहीं किया था। यह स्वीकार किया गया कि अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था क्योंकि छंटनी के समय श्रमिक को न तो नोटिस दिया गया था और न ही छंटनी मुआवजा का भुगतान किया गया था। कर्मचारी ने वरिष्ठता सूची तैयार की थी। याचिकाकर्ता के मामले में वन विभाग (प्रादेशिक), कुरूक्षेत्र रेंज में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की डब्ल्यू-4 में शामिल होने की तारीख 1982 दिखाई गई है। प्रबंधन 1982 से 1998 तक निरंतर सेवा का खंडन करने में असमर्थ रहा है। वर्तमान मामले में दायर लिखित बयान के पैरा 3 में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र वन प्रभाग की थानेसर रेंज का पुराना रिकॉर्ड 31.1.1993 तक ओ के माध्यम से हटा दिया गया है। /ओ नहीं. 148 दिनांक 14.1.1997 हरियाणा वन मैनुअल वॉल्यूम के नियम 15.26 के अनुसार। II संदर्भ संख्या वाली याचिका दायर करने से पहले। 2001 का 139.

4. प्रतिवादी का बचाव यह था कि याचिकाकर्ता ने सेवा छोड़ दी थी। श्रम न्यायालय परित्याग के मुद्दे पर नहीं गया है, इसलिए, बचाव पक्ष प्रबंधन की सहायता के लिए नहीं आएगा क्योंकि वन विभाग ने पुरस्कार पर हमला नहीं किया है। श्रम न्यायालय ने श्रमिक-याचिकाकर्ता के खिलाफ संदर्भ तय करने के लिए निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया। नगर परिषद, स्मराला बनाम राज कुमार , (2006) 3 एससीसी 81; भारतीय रिज़र्व बैंक बनाम गोपीनाथ शर्मा (2006) 6 एससीसी 221; एसएम निलजकर और अन्य बनाम टेलीकॉम जिला प्रबंधक, कर्नाटक , (2003) 4 एससीसी 27; हिमांशु कुमार विद्यार्थी बनाम बिहार राज्य ,

एआईआर 1997 सुप्रीम कोर्ट 3657; गंगाधर पिल्लई बनाम सीमेंस लिमिटेड , (2007) 1 एससीसी 533 और 2004 के सीडब्ल्यूपी नंबर 18587 में टेक चंद बनाम पीठासीन अधिकारी और अन्य शीर्षक से दिए गए इस न्यायालय के फैसले का फैसला 20.7.2007 को हुआ।

5. मैंने पार्टियों के विद्वान वकील को सुना है और मस्टर रोल सहित रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि श्रम न्यायालय का यह निष्कर्ष कि मामला अधिनियम की धारा 2(ओओ) की धारा (बीबी) के अपवाद खंड में आता है, याचिकाकर्ता की निरंतर सेवा को देखते हुए गलत निष्कर्ष है- 1982 से 2001 तक या किसी भी दर पर 1998 से 2001 तक कर्मकार। यह निष्कर्ष विकृत है और अधिनियम की धारा (बीबी) से लेकर धारा 2(ओओ) के प्रावधानों की घोर गलत व्याख्या है। अधिनियम की धारा (बीबी) से धारा 2(ओओ) के अंतर्गत आने वाले मामलों के प्रकार को अध्यक्ष, मेवात विकास एजेंसी, नूंह बनाम रविंदर बलवान और अन्य, एलपीए मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले में समझाया गया है। 2011 की संख्या 2154 पर 25.11.2011 को निर्णय लिया गया, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"लेबर कोर्ट भी 1984 में संशोधन द्वारा धारा 2(ओओ) (बीबी) को पेश करने के उद्देश्य और कारणों से परिचित नहीं है । धारा 2(ओओ)(बीबी) आमतौर पर ऐसे कार्यों के लिए थी जो विशेष अनुबंध के तहत हैं , व्यक्त या निहित जो समय के प्रवाह के साथ समाप्त हो जाते हैं, या एक निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए अनुबंध के तहत निश्चित कार्यकाल जो प्रकृति द्वारा समय तक सीमित है। हम एक उदाहरण दे सकते हैं ताकि श्रम न्यायालय मदद के लिए मन में एक शब्द चित्र का निर्माण कर सके यह भविष्य में मामलों का निर्णय करता है।

मान लीजिए कि एक शेफ को एक होटल द्वारा एक निर्दिष्ट अवधि, मान लीजिए एक वर्ष के लिए रसोइयों को प्रशिक्षित करने के लिए नियुक्त किया गया है और उसका प्रशिक्षण पूरा हो गया है। रसोइयों को प्रशिक्षित किया गया है। अनुबंध ख़त्म हो गया है. शेफ को बाहर निकलना होगा और इस तरह के स्वचालित

विघटन में अधिनियम की धारा 25-एफ के तहत पूर्व सूचना या छंटनी मुआवजे के भुगतान का कोई संदर्भ नहीं होगा। यह केवल चित्रण के माध्यम से प्रत्येक मामले में प्रस्तुत असंख्य और विभिन्न तथ्य स्थितियों में गुणा होने के लिए खुला है। कोई कठोर नियम नहीं बनाये जा सकते।"

7. ऐसा कोई सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है कि प्रत्येक दैनिक वेतन सेवा अधिनियम की धारा (बीबी) से धारा 2(ओओ) के अपवाद खंड में आती है। कई अन्य कारकों पर भी विचार करना होगा. उदाहरण के लिए, कार्य की प्रकृति, कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ, भुगतान का तरीका और तरीका। ऐसे मामले में जब प्रबंधन महीने के अंत में दैनिक वेतन का भुगतान करता है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कर्मचारी के घर जाने से पहले दैनिक वेतन सौंपकर सूर्यास्त के समय अनुबंध को बंद करने का इरादा नहीं है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि वर्तमान मामला अधिनियम की धारा (बीबी) से लेकर धारा 2(ओओ) के अंतर्गत नहीं आता है। अगर ऐसा है तो धारा 25-एफ तुरंत अपना सिर उठाएगी और काम करने वाले के पक्ष में बात करेगी। अनूप शर्मा बनाम कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाग नंबर 1, पानीपत, हरियाणा में ; 2010(3) एससीसी 497 सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम की धारा 25-एफ के उल्लंघन के संदर्भ में दैनिक वेतन भोगी के मामले को निपटाया है।

8. राज्य-प्रतिवादी का रुख हरियाणा सरकार के परिपत्र पत्र दिनांक 22.10.2003 पर आधारित है जिसमें वन विभाग में 1.12.2003 से टुकड़ा दर अनुबंध प्रणाली की नीति को लागू करने का निर्देश दिया गया है। औद्योगिक टुकड़ा दर अनुबंध प्रणाली इस न्यायालय को दिनांक 20.10.2003 के नीति पत्र के लागू होने से पहले एक चरण में श्रमिक की बहाली का आदेश देने से नहीं रोकेगी। यदि यह न्यायालय निर्णय लेता है कि वर्तमान पुरस्कार को रद्द करने और आदेश की बहाली के लिए उपयुक्त मामला है, तो 20.10.2003 से सिस्टम के दायरे में याचिकाकर्ता को फिर से समायोजित करने के लिए प्रबंधन के लिए खुला होगा।

9. वर्तमान मामले में दी जा सकने वाली राहत की प्रकृति पर गहन विचार करने के बाद मुझे लगता है कि यह न्याय के अनुरूप होगा कि इस रिट याचिका को

अनुमति दी जानी चाहिए। अनूप शर्मा के मामले में निर्धारित सिद्धांत (सुप्रा) वर्तमान मामले में लागू होने योग्य है। पिछले वेतन के साथ बहाली का पुरस्कार समाप्ति की तारीख से आना चाहिए, हालांकि, वर्तमान में मुझे 2001 में बर्खास्तगी के परिणामस्वरूप न्याय की मांग के नोटिस की सेवा का कोई विशिष्ट सबूत नहीं मिला है और इसलिए, यह उचित और उचित होगा अधिसूचना दिनांक 29.4.2005 से वेतन वापसी का आदेश दें जिस पर संदर्भ क्रमांक 60/2005 दर्ज किया गया था।

10. उपरोक्त कारणों से, यह रिट याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विवादित पुरस्कार दिनांक 12.2.2008 (पी-3) रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता को संदर्भ की तारीख से पिछले वेतन के अधिकार के साथ दैनिक वेतनभोगी / टुकड़ा दर अनुबंध कार्यकर्ता के रूप में सेवा में बहाल किया जाएगा।

(राजीव नारायण रैना) 08.05.2012 न्यायाधीश 'एसपी'

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मनीषा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)

बहादुरगढ़,हरियाणा